न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 55/2016 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2016/00158

1. कानाराम (मृत्तक) पुत्र जैसाराम जाति ब्राह्मण निवासी कालू तहसील लूनकरणसर।
1/1. शारदा देवी पत्नी स्व. कानाराम
1/2. गजानन्द पुत्र स्व. कानाराम
1/3. कैलाश पुत्र स्व. कानाराम
1/4. श्रवण कुमार पुत्र स्व. कानाराम
1/5. सन्तोष पुत्री स्व. कानाराम
} निवासी ग्राम कालू तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।
6. विजय कुमार पुत्र कानाराम जाति ब्राह्मण निवासी कालू तहसील लूनकरणसर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. हेमी पत्नी स्व. जोधाराम
2. सन्तूराम
3. गोरधन
4. मेघाराम
5. गिरधारी
6. बीरबल
7. पाना
8. पुनमा

} पुत्र/पुत्रियां स्व. जोधाराम } जाति मेघवाल निवासी कालू तहसील लूनकरणसर।

9. भादरराम पुत्र डालूराम (पुत्र मृतका गौरा)
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूनकरणसर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश वैद —अभिभाषक अपीलांट
श्री महेश पाल सिंह —अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 9

निर्णय

दिनांक 28.07.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के आदेश दिनांक 12.03.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि ग्राम वासी चारनान के खसरा नंबर 84/1 तादादी 35 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा व कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने धारा 136 के अन्तर्गत दुरुस्ती बावत प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2016 पारित कर प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि वादगत भूमि अपीलांट की खरीदशुदा खातेदारी भूमि है। मौके पर अपीलांट का कब्जा है। राजस्व नक्शें में इसी अनुसार तरमीम शुदा है। उक्त ग्राम में भू–प्रबंध विभाग द्वारा भू–प्रबंध कार्य किया गया, जिसमें उपरोक्त वर्णित भूमि केक नये खसरा नंबर 338 बनाये गये। नक्शे में रकबा पूरा 8.85 हैक्टेयर तरमीम किया, लेकिन मिसल बन्दोबस्त में रकबा 8.85 हैक्टेयर दर्ज करने की बजाय 4.68 हैक्टेयर ही दर्ज किया। रेस्पो. सं. 1 ता 9 के पूर्वज जोधाराम पुत्र मल्लूराम के नांम से वादगत भूमि के पूर्वी तरफ चिपते मूल खसरा नं. 84 के बंटा नंबर 276/84 में 25 बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जिसे इन्द्राज शुद्धी आदेश दिनांक 23.08.1979 के अनुसार इंतकाल सं. 480 दिनांक 22.04.1980 के स्वीकृत कर दिया गया, जिसके अनुसार राजस्व ख.नं. 276/84 में 8.10 बीघा व ख.नं. 276/87 में 16.10 बीघा कुल 25 बीघा रकबा दर्ज था, लेकिन उक्त इंतकाल का राजस्व रिकार्ड मे अमल नहीं किया गया, जिसके कारण भूप्रबंध विभाग को भू प्रबंध कार्यवाही के लिये सौंपे गये रिकार्ड मे सहबन से लिपिकीय त्रुटि के कारण ख.नं. 276/84 तादादी 25 बीघा के इंद्राज ही रेस्पोडेन्ट्स के नाम प्रेषित कर दिये गये। उपरोक्त कारणों से भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान रेस्पोडेन्ट्स की भूमि ख.नं. 84 में 8.10 बीघा के नये ख.नं. 340 बनाये। मिसल बंदोबस्त में नये ख.नं. 340 में 2.15 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज करने की बजाय 6.32 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर दी गई जबकि नये ख.नं. 340 में 2.15 हैक्ट. व नये ख.नं. 348 में 4.17 हैक्ट. दज की जानी चाहिये थी, जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 9 की सहमति भी थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 एल आर एक्ट की सही व्याख्या नहीं की है। भू प्रबंध अधिकारी को इंतकाल संख्या 480 दिनांक 22.04.1980 को सही आदेश दिनांक 23.08.1979 को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट्स का दुरूस्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 9 ने दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर अपनी अनापति जाहिर करते हुए सहमति व्यक्त की।

अतिरिक्त आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2016 पारित कर प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम को संधारण योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपीलाधीन तथ्यों की उचित जांच किये बिना पारित है, जो न्यायोचित नहीं है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर को सभी पक्षकारों को सुनकर व समस्त तथ्यों की समुचित जांच कर पुनः निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर